कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर

क्रमांक : 1/1/2013 X 2110 लेखा शाखा/2013 ग्वालियर, दिनांक 27/05/2013

–:निविदा:–

निम्नानुसार संबंधित विभागों द्वारा अधिकृत संबधित फर्मो को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं ठेकेदारों के भुगतान से काटे गये आयकर–वाणिज्यिकर इत्यादि के विवरण ऑनलाईन (ई–फाईलिंग) विषयक निम्न एवं तत्सबंधी कार्य कराया जाना है :–

01. Preparation and submission of ETDS returns on quarterly basis along with filing of the same with income tax department. (Per return per quarter)
02. Generation of form 16 for Employees along with salary details. (Per employee)
03. Preparation and submission of income tax return of contractors on quarterly basis along with filing of the same wilt IT dept. (Per returns per quarter)
04. Generation of form 16A for contractors along with details of payments made to contractors. (Per contractors)
05. Preparation and submission of service tax detail and filing the return on quarterly basis. (Per return per quarter)
06. Preparation and submission of commercial tax details for quarterly basis and filing the return to commercial tax department. (Per return per quarter)

अतः आप उक्त कार्य की अपनी फर्म की दरें सीलबंद लिफाफे में दिनांक 14-6-2013 तक लेखा विभाग में दोपहर 04 बजे तक भिजवाएं।

इसहेतु नियमानुसार टेण्डर फार्म रू. 1000/– नगद जमा कर प्राप्त कर सीलबंद करना एवं कार्य की अनुमानित लागत लगभग रू. 4,00,000/– के लिये 2 प्रतिशत राशि की एफ.डी.आर. संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र 6 जून 2013 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अन्य शर्ते :–

01. किये गये कार्य का देयक दो प्रतियों में संबंधित विभागाधिकारी से प्रमाणित कर भिजवाना होगा।
02. संबंधित फर्म के लिये विभाग से प्राप्तकिये गये रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा तथा कार्योपरांत वापिस करना होगा। गुम होने अथवा वापिस नहीं करने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
03. कार्योत्तर संबंधित अभिलेख नगर निगम का ही अभिलेख होगा, कहीं और देने पर भी संबंधितफर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
04. कार्य स्वीकृत होने पर संबंधित फर्म का उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्य को पूर्ण करें, किसी भी परिस्थिति में कार्य अधूरा नहीं छोड़ा जायेगा, अन्यथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
05. अन्य आवश्यक शर्ते जो निगम हित में होंगी वह संबंधित फर्म को मान्य होगी।

इस संबंध में शर्ते एवं संबंधित अन्य जानकारी लेखा विभाग से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। दरें स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का अधिकार निगम का सुरक्षित रहेगा, इसका कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर